रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223382
CG-DL-E-27112020-223382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3754] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942
No. 3754] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

का.आ. 4259(अ).—भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) का एक पक्षकार देश है और इस अभिसमय का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रताओं का स्थिरीकरण इस स्तर तक हासिल करना है जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव-जनित हस्तक्षेप की रोकथाम हो पाए;

और, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में किए गए दोहा संशोधन का अनुसमर्थन किया है और वर्ष 2003 में राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) का गठन किया है;

और, भारत ने, विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में, साम्या एवं साझा सिद्धांतों किंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं के अनुसार अभिसमय के कार्यान्वयन को बढ़ाने हेतु पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया है;

और, भारत ने वर्ष 2020 के पश्चात् की अवधि में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015 में अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया है; एनडीसी में आठ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनमें तीन परिमाणात्मक लक्ष्य शामिल हैं अर्थात् वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना; वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत समेकित विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता हासिल करना; और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना;

और, पेरिस समझौते के बाजार, गैर-बाजार और स्वैच्छिक दृष्टिकोणों से संबंधित अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन हेतु क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन गठित राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) का अधिक्रमण करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन आवश्यक है;

और, पेरिस समझौते में वर्ष 2020 के पश्चात् की अवधि के लिए नई पद्धतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों (एमपीजी) के साथ 'संवर्धित पारदर्शिता ढांचा' की परिकल्पना की गई है, जो मौजूदा निगरानी, समीक्षा और सत्यापन (एमआरवी) प्रणाली को अधिक्रमित करेगा;

और, पेरिस समझौते के अधीन, वर्ष 2023 से पहली समीक्षा आरंभ करके प्रत्येक पांच वर्षों पर आवधिक रूप से इस समझौते के कार्यान्वयन का जायजा लेने और इस समझौते के प्रयोजन और इसके दीर्घ-कालिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हुई सामूहिक प्रगति का आकलन करने हेतु 'वैश्विक समीक्षा' की प्रक्रिया स्थापित की गई है;

और केंद्रीय सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु एक शीर्ष समिति गठित करना आवश्यक और समीचीन समझती है, जिससे देश के हितों की सुरक्षा हो और यह सुनिश्चित हो कि भारत पेरिस समझौते के अधीन अपने प्रस्तुत किए गए एनडीसी सहित जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष समिति (एआईपीए)' गठित करती है, जिसका गठन निम्नलिखित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	अध्यक्ष;
2. अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	उपाध्यक्ष;
3. अपर महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	सदस्य;
4. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य;
5. संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य;
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य;
7. संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य;
8. संयुक्त सचिव, जलशक्ति मंत्रालय	सदस्य;
9. संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य;
10. संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	सदस्य;
11. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य;
12. संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य;
13. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य;
14. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय	सदस्य;
15. संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	सदस्य;
16. संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, नीति आयोग	सदस्य;
17. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य सचिव;

2. पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष समिति (एआईपीए) निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:-

i. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उपाय सुझाएगी और उसकी धारा 5 के अधीन निर्देश जारी करेगी;

ii. एनडीसी के संबंध में यूएनएफसीसीसी को किए जाने वाले संप्रेषण और रिपोर्टिंग में समन्वय स्थापित करेगी;

iii. भारत के एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए संबंधित मंत्रालयों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करेगी तथा पेरिस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की निगरानी, समीक्षा और पुनरावलोकन हेतु अद्यतन आवधिक सूचना प्राप्त करेगी;

iv. भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों को उनके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो नीतियां और कार्यक्रम विकसित करेगी;

v. पेरिस समझौते के संवर्धित पारदर्शिता कार्य-ढांचे के अधीन आवश्यकताओं के अनुसार, राष्ट्रीय सूची प्रबंधन प्रणाली (एनआईएमएस) के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) नवाचार विकसित करेगी;

vi. यूएनएफसीसीसी को राष्ट्रीय संप्रेषणों, द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्टों और द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्टों के संप्रेषण में समन्वय स्थापित करेगी;

vii. वर्ष 2020 के पश्चात् की अवधि में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2, अनुच्छेद 6.4 और अनुच्छेद 6.8 के अधीन भारत में कार्बन के बाजार को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी;

viii. पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अधीन परियोजनाओं या कार्यकलापों पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी;

ix. कार्बन का मूल्य-निर्धारण, बाजार तंत्र और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं, जिनका जलवायु परिवर्तन और एनडीसी पर असर पड़ता है, के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी;

x. पेरिस समझौते के अधीन आवश्यकतानुसार अनुकूलन संप्रेषण प्रस्तुत करने में समन्वय स्थापित करेगी;

xi. बढ़ रही आवश्यकताओं की पहचान करेगी और लागत-प्रभावी तरीके से भारत के दायित्वों की उपलब्धियों को सुकर बनाने के लिए तंत्रो का प्रस्ताव करेगी;

xii. एनडीसी के लिए मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी तथा घरेलू द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यकलापों या परियोजनाओं हेतु उसके लेखांकन के लिए मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ये मंत्रिमंडल के निर्णयों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की स्थिति के अनुरूप है;

xiii. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निजी क्षेत्र के योगदानों पर ध्यान देगी तथा घरेलू प्राथमिकताओं के साथ उनके कार्यकलापों को संरेखित करने में मदद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी;

xiv. स्वतंत्र अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अध्ययनों को आरंभ करेगी और उनकी सिफारिश करेगी तथा उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में क्षमता संवर्धन ओर प्रशिक्षण कार्यकलापों की योजना बनाएगी;

xv. जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री काउंसिल (पीएमसीसीसी) से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी और उन्हें सूचना प्रदान करेगी; तथा

xvi. यूएनएफसीसी और इसके पेरिस समझौते के अधीन आवश्यकतानुसार कोई अन्य मामला।

3. एआईपीए का सदस्य सचिव समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होगा, जिनमें कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने हेतु उप-समूह गठित करना और विशेषज्ञों के माध्यम से या उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा विचारार्थ संगठनों से परामर्श करके जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों की विस्तृत जांच करना या किसी परामर्शदाता या विशेषज्ञ को ऐसे पारिश्रिमिक पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, संविदा के आधार पर नियोजित करना या भाड़े पर लेना शामिल है।

4. पेरिस समझोते के कार्यान्वयन हेतु गठित शीर्ष समिति (एआईपीए) को:

(क) सरकार, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, परामर्शदाता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी, विधिक वृत्ति, उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को, जैसा वह आवश्यक समझे, तकनीकी एवं पेशेवर जानकारी प्रदान करने हेतु आमंत्रित करने तथा आवश्यकता के आधार पर अन्य सदस्यों को सह-योजित करने;

(ख) जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों के लिए संबंधित प्राधिकरणों, संस्थानों, वैयक्तिक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने;

(ग) जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसी पर्यावरणीय या संवहनीय विकास मुद्दे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे अग्रेषित किया जाए, पर कार्रवाई करने; और

(घ) जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सरकार को संस्तुतियां प्रदान करने की शक्ति होगी।

5. पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु गठित शीर्ष समिति (एआईपीए) अपने कार्यकलाप के विषय में कम से कम छः माह में एक बार केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[फा. सं. सीसी-13008/55/2019-सीसी]

ऋचा शर्मा, संयुक्त सचिव (जलवायु परिवर्तन)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

S.O. 4259(E).—Whereas, India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the objective of the Convention is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

And whereas, India has ratified the Kyoto Protocol and the Doha Amendment to the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change and constituted the National CDM Authority (NCDMA) in 2003;

And whereas, India has ratified the Paris Agreement to enhance the implementation of the Convention in accordance with the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances;

And whereas, India has submitted its Nationally Determined Contribution (NDC) in 2015 for implementation of the Paris Agreement in the post-2020 period; the NDC has eight goals including three quantitative goals viz. reduction in the emissions intensity of Gross Domestic Product (GDP) by 33 to 35 per cent by 2030 from 2005 level; achieving about 40 per cent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030; and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030;

And whereas, implementation of Article 6 of the Paris Agreement dealing with market, non-market and voluntary approaches, necessitate an inter-ministerial committee to supersede the National CDM Authority (NCDMA) constituted under the Kyoto Protocol;

And whereas, Paris Agreement envisages an 'enhanced transparency framework' with new modalities, procedures and guidelines (MPG) for the post-2020 period which will supersede the existing Monitoring, Review and Verification (MRV) system;

And whereas, Paris Agreement establishes process of 'Global Stocktake' to periodically take stock of the implementation of this Agreement and assess the collective progress towards achieving the purpose of this Agreement and its long-term goals every five years with first in 2023;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to constitute an Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA) for the purpose of ensuring a coordinated response on climate change matters that protects the country's interests and ensures that India is on track towards meeting its climate change obligations under the Paris Agreement including its submitted NDCs.

Now, therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the 'Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA)' with the following composition:-

1.	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Chairperson;
2.	Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Vice-Chairperson;
3	Additional Director General (Forest), Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member;
4.	Joint Secretary, Ministry of Finance	Member;
5.	Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	Member;
6.	Joint Secretary, Ministry of Science and Technology	Member;
7.	Joint Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	Member;
8.	Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti	Member;
9.	Joint Secretary, Ministry of Power	Member;
10.	Joint Secretary, Ministry of Earth Sciences	Member;
11.	Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member;
12.	Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs	Member;
13.	Joint Secretary, Ministry of Rural Development	Member;
14.	Joint Secretary, Ministry of External Affairs	Member;
15.	Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry	Member;
16.	Joint Secretary level Officer, NITI Aayog	Member;
17.	Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member Secretary.

2. The Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA) shall exercise and perform the following functions, namely:-

(i) take measures with respect to matters referred to in the clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act and may issue directions under section 5 thereof;

(ii) coordinate communication and reporting of NDCs to UNFCCC;

(iii) define responsibilities of concerned ministries for achieving India's NDC goals and receive periodic information updates to monitor, review and revisit climate goals to fulfill the requirements of the Paris Agreement;

(iv) develop policies and programmes, if required, to make India's domestic climate actions compliant with its international obligations;

(v) develop Monitoring, Reporting and Verification (MRV) protocol for National Inventory Management System (NIMS) as per the requirements under the enhanced Transparency Framework of Paris Agreement;

(vi) coordinate communication of National Communications, Biennial Update Reports and Biennial Transparency Reports to UNFCCC;

(vii) function as a National Authority to regulate carbon markets in India, under Article 6.2, Article 6.4 and Article 6.8 of the Paris Agreement in the post-2020 period;

(viii) formulate guidelines for consideration of projects or activities under Article 6 of the Paris Agreement;

(ix) issue guidelines on carbon pricing, market mechanism, and similar other instruments that have a bearing on climate change and NDCs;

(x) coordinate submission of Adaptation Communication as required under the Paris Agreement;

(xi) identify evolving requirements and propose mechanisms to facilitate achievement of India's obligations in a cost-effective manner;

(xii) provide guidance to NDCs and its accounting for domestic, bilateral and multilateral activities or projects and ensure that these are compliant with Cabinet decisions and India's position in international climate change negotiations;

(xiii) take note of the private sector's contributions for combating climate change and provide guidance to help align their actions with domestic priorities;

(xiv) commission and recommend independent research and analytical studies and plan capacity building and training activities on the above issues;

(xv) seek guidance from and provide inputs to the Prime Minister's Council on Climate Change (PMCCC); and

(xvi) any other matter, as required under UNFCCC and its Paris Agreement.

3. The Member-Secretary of AIPA shall be responsible for day-to-day activities of the Committee including constituting sub-group to coordinate activities and carry out detailed examination of climate change related issues through experts or by consulting organizations for consideration by the aforesaid Authority or to engage or hire any consultant or specialist on contract basis on such remuneration as may be approved by the Central Government.

4. The Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA) shall have power:

(a) to invite officials and experts from the Government, financial institutions, universities, academic institutions, consultancy organisations, non-Governmental organisations, civil society, legal profession, industry and commerce, as it may deem necessary for technical and professional inputs and may co-opt other members depending upon need;

(b) to interact with concerned authorities, institutions, individual stakeholders for matters relating to climate change;

(c) to take up any environmental or sustainable development issues pertaining to climate change as may be referred to it by the Central Government, and

(d) to provide recommendations to the Central Government on matters related to climate change.

5. The Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA) shall furnish report about its activity at least once in six months to the Central Government.

[F. No. CC-13008/55/2019-CC]

RICHA SHARMA, Jt. Secy. (Climate Change)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.27 22:08:24 +05'30'